A.F.R.
Judgment Reserved on 26.5.2026
Judgment Delivered on 08.6.2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 214 of 2026

Chander Pal Singh and another

…..Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and 5 others

…..Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Gautam, Jitendra Rana, Mohd. Shamim, Rajrshi Gupta
Counsel for Respondent(s)	:	G.A.

In Chamber

HON'BLE SIDDHARTH, J.
HON'BLE VINAI KUMAR DWIVEDI, J.

(Delivered by Hon'ble Siddharth, J.)

1. Heard Sri Rajrshi Gupta and Sri Jitendra Rana, learned counsel for the petitioners; Sri Anoop Trivedi, learned Additional Advocate General assisted by Sri Mohd. Shoeb Khan, learned AGA-Ist for State-respondents and perused the pleadings of the parties and annexures in support thereof.

2. This habeas corpus writ petition has been filed seeking the following reliefs:-

a. Issue a Writ of Habeas Corpus and/or any other similar writ, order and direction of like nature, directing the respondents to produce the

petitioner no.1 before this Hon'ble Court and release the corpus/ petitioner no.1 from their illegal detention/arrest/custody to set at liberty.

b. Issue a Writ of Mandamus and/or any other similar writ, order and directing the Police of Police Station Teelamodh, District Commissionerate Ghaziabad, not to illegally harass the Petitioner no. 1 and his family members.

c. Issue any other Writ, Order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the circumstances of the present case.

d. To may award the compensation to the petitioner for the illegal detention/arrest/harassment, and also cost of expenses for present Writ petition.

3. The brief facts of the case are that petitioner no.1-corpus has been illegally detained by police of Police Station Teelamodh by Chowki In-charge of aforesaid police station, namely, Rajendra Singh on 22.2.2026 around 11:00 a.m.; detained illegally for more than 24 hours and produced before Magistrate on 23.2.2026 at 4:00 p.m.

4. Learned counsel for the petitioner has submitted that the petitioner no.1 is a practicing Advocate of this Court and petitioner no.2 is his wife. Both are also handicapped. On 13.2.2026 petitioner no.1 had gone to his native village, Jawli, for attending the marriage of his niece scheduled on 20.2.2026. Unfortunately, on 17.02.2026 brother-in-law of petitioner no.1 expired and his family was shocked. The petitioner no.1 got his ticket reserved by train for returning to Prayagraj in 22.2.2026, but on the same day at 11:00 a.m. he was forcibly taken away by the police of Police Station Teelamodh. He was not produced before any Magistrate within 24 hours, which is violation of law. He was only produced before Assistant Commissioner of Police, Salimar Garden, District Ghaziabad and he was sent to jail under Section 151 Cr.P.C.

without permitting him to execute bond for keeping peace. The petitioner no.1 was lodged in a cell at Police Station Teelamodh for whole day alongwith his nephew and it was only on 23.2.2026 that they furnished bond of Rs.50,000/- under Sections 170, 126 and 135 B.N.S.S. Despite execution of bail bonds, petitioner no.1 alongwith his nephew were sent to jail. After the filing of the habeas corpus writ petition and on the oral direction of this Hon'ble Court to the learned A.G.A. to seek instructions, petitioner No. 1 was released from jail on 25.02.2026 at 8:30 a.m., while his nephew was released on the next day, i.e., 26.02.2026, in the morning.

5. Petitioner no.1 made complaints to the Police Commissioner, Commissionerate Ghaziabad alongwith the District Magistrate and other authorities. The petitioner no.1 was again issued a notice dated 25.03.2026 under Sections 126 and 135 of the B.N.S.S. by the Executive Magistrate, Sahibabad, Commissionerate Ghaziabad, with regard to the incident dated 03.03.2026, in order to exert pressure upon him to withdraw the present habeas corpus writ petition. The petitioner no.1 belongs to SC/ST community and he was subjected to physical and mental harassment alongwith his nephew in most illegal manner by the Assistant Commissioner of Police, Salimar Garden, District Commissionerate, Ghaziabad and Station House Officer, Police Station Teelamodh, District Commissionerate, Ghaziabad.

6. A counter affidavit has been filed on behalf of S.H.O., Police Station Teelamodh, wherein it has been mentioned in paragraph no.4 that an

N.C.R. was registered against petitioner no.1. Thereafter he was challaned under Sections 170, 126 and 135 B.N.S.S. and hence he was produced before the competent court on 23.2.2026. The petitioner no.1 did not moved any bail application and hence he was sent to the jail. It was not brought to his notice that petitioner no.1 is handicapped. He was challaned in accordance with law. On 22.02.2026, one Ravi made a complaint against the petitioner no.1 alleging that he had obstructed the passage by installing a gate. On the basis of the said complaint, NCR No. 12 of 2026 was registered under Sections 115(2) and 351 of the B.N.S. Consequently, the petitioner no.1 was challaned on 23.02.2026 under Sections 170, 126 and 135 of the B.N.S.S. When the petitioner no.1 was arrested, an arrest memo was prepared. The Executive Magistrate, Shahibabad, has issued notice under Section 126, 135 B.N.S. on the basis of report of Inspector Incharge of Police Station concerned.

7. This Court passed the order dated 27.4.2026 directing the Commissioner of Police, Commissionerate Ghazizbad, to submit the details of illegally detained persons by his orders. In the compliance of aforesaid order, affidavit of compliance has been filed by Commissioner of Police, Ghaziabad, stating that no person is now under detention. However his report shows that earlier persons were arrested and detained in jail for number of days. After this Court's order, they were released from jail to show good work. It has also been stated in the compliance affidavit that Commissioner has ordered inquiry through Additional Deputy Commissioner of Police (Crime), Commissionerate Ghaziabad, by his order dated 29.4.2026 as to why petitioner no.1 was detained in

police station for more than 24 hours. The inquiry report has been brought on record as Annexure No.5 to the affidavit of compliance. From the aforesaid inquiry report, we do not find any justification for keeping the petitioner in jail despite the execution of the bail bond.

8. Sri Anoop Trivedi, Additional Advocate General has opposed the submissions made by learned counsel for the petitioners and also placed before this Court the instructions received from the Director General of Police, U.P. which is as follows:-

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

विधि प्रकोष्ठ, टावर-2, पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ – 226002
पत्रांकः डीजी-लसा-विषप्रो-स्टर-388/2026

दिनांकः मई 25, 2026

सेवा में,
समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमानत (Surety) की धनराशि निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश।

श्री अनुप त्रिवेदी, अपर महाधिवक्ता, उ०प्र०, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-15791-C दिनांकित 20.05.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र० में कमिश्नरेट में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु व्यक्तियों से असामान्य रूप से अधिक धनराशि की जमानत (Surety) देने के आदेश पारित किये जा रहे हैं, जिस पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उ०प्र० में गठित सात पुलिस कमिश्नरेटों में पुलिस अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, जिनका प्रयोग करते हुए CrPC के Chapter-VIII / BNSS के Chapter-IX Security For Keeping Peace and Good Behaviour के अन्तर्गत सदाचार बनाये रखने हेतु जमानत (Surety) दाखिल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

3- जमानत (Surety) की धनराशि के सम्बन्ध में BNSS की धारा 484 / CrPC की धारा-440 में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है—

Section 484 BNSS / Section 440 CrPC
Amount of bond and reduction thereof

(1) The amount of every bond executed under this Chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive.

(2) The High Court or the Court of Session may direct that the bail required by a police officer or Magistrate be reduced.

4- BNSS / CrPC के उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि जमानत धनराशि का निर्धारण प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों को विचार में लेते हुए किया जाना चाहिए और वह किसी भी दशा में असामान्य रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर जमानत की धनराशि का निर्धारण करते समय BNSS / CrPC में दिये गये उपरोक्त प्राविधान को ध्यान में रखने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें।

Sd/
(राजीव कृष्ण)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

9. The above instructions are nothing but reference to wrong statutory provision of Chapter XXXV of B.N.S.S. by Director General of Police, not noticed by learned Additional Advocate General of U.P., which are of no help in deciding this petition. The provisions relate to bond furnished after court order of release from jail on furnishing bond and sureties by an under trial or convicted accused directed to be enlarged on bail during pendency of appeal. The relevant provision of Sections 126/135 B.N.S.S. are part of Chapter (IX) and Section 170 B.N.S.S. is part of Chapter XII of B.N.S.S. which are quoted herein below for ready reference:-

"*126. Security for keeping peace in other cases.*

(1)When an Executive Magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquillity and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit.

(2) Proceedings under this section may be taken before any Executive Magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction.

135. Inquiry as to truth of information.

(1)When an order under section 130 has been read or explained under section 131 to a person present in Court, or when any person appears or is brought before a Magistrate in compliance with, or in execution of, a summons or warrant, issued under section 132, the Magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken, and to take such further evidence as may appear necessary.(2)Such inquiry shall be made, as nearly as may be practicable, in the manner hereinafter prescribed for conducting trial and recording evidence in summons-cases.(3)After the commencement, and before the completion, of the inquiry under sub-section (1), the Magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquillity or the commission of any offence or for the public safety, may, for reasons to be recorded in writing, direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond, for keeping the peace or maintaining good behaviour until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond or bail bond is executed or, in default of execution, until the inquiry is concluded: Provided that-(a) no person against whom proceedings are not being taken under section 127, section 128, or section 129 shall be directed to execute a bond or bail bond for maintaining good behaviour;(b) the conditions of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in the order under section 130.(4)For the purposes of this section the fact that a person is a habitual offender or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise.(5)Where two or more persons have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt with in the same or separate inquiries as the Magistrate shall think just.(6)The inquiry under this section shall be completed within a period of six months from the date of its commencement, and if such inquiry is not so

> *completed, the proceedings under this Chapter shall, on the expiry of the said period, stand terminated unless, for special reasons to be recorded in writing, the Magistrate otherwise directs: Provided that where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceeding against that person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of a period of six months of such detention.(7)Where any direction is made under sub-section (6) permitting the continuance of proceedings, the Sessions Judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse.*
>
> ***170. Arrest to prevent commission of cognizable offences.***
>
> *(1)A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented.(2)No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under any other provisions of this Sanhita or of any other law for the time being in force.(3)No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under any other provisions of this Sanhita or of any other law for the time being in force.”*

10. Learned counsel for the petitioner has placed reliance upon the judgment dated 6.3.2020 passed by co-ordinate Bench of this Court in the case of ***Amit Jani Vs. State of U.P. and others, Hebeas Corpus Writ Petition No.1045 of 2019*** and another judgment dated 11.6.2021 of co-ordinate Bench of this Court in the case of ***Shiv Kumar Verma and another Vs. State of U.P. and 3 others, Criminal Misc. Writ Petition No.16386 of 2020.***

11. We find that that the co-ordinate Bench of this Court in the case of ***Amit Jani (Supra)*** has considered the issue involved in this writ petition with reference to Sections 107, 116, 151 Cr.P.C. relating to “security” for keeping peace and for good behaviour. This Court after considering the rival submissions has held as under:-

"9. A conjoint reading of the aforesaid provisions manifests that the executive magistrate on receipt of information that any person is likely to commit a breach of peace, public tranquillity, such person shall be put to notice as to why he be not directed to execute a bond with or without sureties. The Executive Magistrate is not obliged to issue a notice on mere ipse dixit. The object of proceedings under Chapter-VIII is of prevention of crime, disturbance of public tranquillity and breach of peace. The provisions are preventive in nature based on apprehended danger.

10. Section 151 is contained under Chapter-XI, which deals about the "preventive action of police"

"151. Arrest to prevent the commission of cognizable offences.

(1) A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented.

(2) No person arrested under sub- section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty- four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under any other provisions of this Code or of any other law for the time being in force."

Sub-section (2) of Section 151 clearly indicates that no person shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours unless his further detention is required or authorised under the Code or any other law.

11. It is well settled that when an act is to be done in a particular manner, then the act is to be performed only in the manner provided under the statute or not at all and all other modes are necessarily forbidden. Thus, the phraseology employed in Section 107 " in the manner hereinafter provided" cannot be ignored, on the contrary conveys the intent of the legislature that while exercising the powers under Section 107 of the Code the Executive Magistrate shall adhere to the procedure laid down in Chapter- VIII of the Code.

12. The powers under Section-107, 108 and 109 of the Code to issue a show cause is to be exercised according to the defined procedure. Section 116 of the Code contemplates an inquiry to ascertain the veracity of the information, which led to the issuance of a show cause under Section 107. Vide sub-section (3) of Section 116, power is conferred on the magistrate for passing orders relating to immediate measures in case of breach of peace, disturbance, public tranquillity or commission of any offence or public safety calling upon the persons to keep peace or maintain good behaviour until conclusion of the inquiry. Power is also conferred on the Magistrate to detain the person concerned in custody until such bond is executed or in default of execution, until the inquiry is concluded.

13. The Apex Court in Madhu Limaye & others vs. S.D.M, (1970) 3 SCC 746 while upholding the Constitutional validity of Chapter-VIII of the Code

held that the orders made under this Chapter are judicial orders unlike the detention order under Article 22(5) of the Constitution, which is administrative in nature. The order of detention under Chapter - VIII can be passed only in default of execution of bond and not otherwise . Thus, the sine qua non for detention under Chapter VIII of the Code is failure to execute a bond.

14. We have already set forth undisputed factual matrix. The petitioner came to be arrested on 9.11.2019 at 2:00 A.M, from his house. No reasons for detention were communicated. The alleged reason, i.e, the petitioner was a potential threat in view of pending Ayodhya Verdict surfaced for the first time on 11.11.2019 by way of show cause notice dated 9.11.2019, which is as under:

न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्ध नगर

वाद संख्या : 4040/2019
अन्तर्गत धारा 151, 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता
राज्य बनाम अमित जानी
थाना : सेक्टर-20, नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर

आदेश (धारा 111 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली Sec 20 नोएड़ा गौतमबुद्धनगर ने अपनी आख्या दिनांक 9-11-19 के द्वारा अवगत कराया है कि निम्नलिखित विपक्षीगण धार्मिक सौहार्द को लेकर विवाद है। जिसको लेकर तनाव व्याप्त है। जिससे शान्ति भंग किए जाने की प्रबल सम्भावना है। प्रभारी निरीक्षक की आख्या से मैं संतुष्ट हूँ और मेरा समाधान हो गया है कि निम्नलिखित विपक्षीगणों से उक्त आधारो पर शान्ति भंग किये जाने की प्रबल सम्भावना है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध दं०प्र० सं० की धारा 151,107,116 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मै नगर मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर आदेश देता हूँ कि निम्नलिखित विपक्षीगण कारण दर्शित करे कि क्यों न उनसे 06 माह तक शान्ति व्यवस्था बनाऐ रखने के लिये अंकन 50,000 के निजी बन्ध पत्र एवं समान धनराशी की दो प्रतिभूतियां जो स्थानीय संम्पन एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गयी हो जो विपक्षीगणों पर शान्ति बनाये रखने के निर्मित उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखने में सक्षम हो, से पाबन्द किया जाये।
वाद मे दिनांक- 22.11.19 नियत की जाती है।
दिनांक- 9.11.19

ह० अपठनीय
नगर मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्ध नगर

15. A perusal of the aforesaid manifests that the notice is dated 9.11.2019 calling upon the petitioner to furnish a personal bond of Rs.50,000/- and 2

sureties of the like amount for maintenance / ensuring of peace and tranquillity for a period of 6 months. The date fixed in the notice was 22.11.2019, i.e, the petitioner had time till 22.11.2019 to comply the show cause. Respondent no.5 has not placed any material, but for Annexure-CA-2 (show cause) that the circumstances were so grave and imminent that on the date of issuance of notice itself, immediate detention of the petitioner was warranted. On the contrary, the notice/ challan under Section 107/116 /151 CrPC (Annex.-CA-II) is on a printed proforma, on which name and address of the petitioner, name of PS, the date of report, the alleged ground, i.e, for maintaining communal harmony and the date fixed are only hand written, leaving the remaining recitals to be on a printed format including the amount of personal bond to be furnished by the petitioner. The order sheet of 9.11.2019 is also on a printed format. It appears that respondent no.5 mechanically issued notice / challan without any application of mind. The passing of orders in printed proforma/cyclostyled formats have been deprecated by various High Courts including this court as they do not reflect application of mind. Reference is made to the following judgments:-

1. 2000 ILR (Kar) 4773, Vijaya Bank Vs. State.

2. 2010(9) ADJ 594, Abdul Rasheed Vs. State of U.P. & another.

3. 2009 (67) ACC 532, Ankit Vs. State of U.P. & another.

4. 2010 (3) ADJ 622, Saurabh Dewana Vs. State of U.P.

16. The authority was statutorily obliged to reduce its reasons in writing, warranting an immediate action, no such reasons were ascribed. The petitioner submitted his personal bonds and sureties before Respondent no.5 on 11.11.2019, which was sought to be controverted by alleging that it was submitted on 13.11.2019. The respondent no.5 was well within his limits to verify sureties. But he had no authority to continue the detention of the petitioner once he had submitted his personal bonds on 11.11.2019. The statutory mandate of Section 116 (3) is that once the person concerned tenders his personal bond in compliance to order passed under Section 111, he has to be released. The petitioner was released only on 16.11.2019, when the matter was taken up in this Court. Thus the detention of the petitioner from 11.11.2019 to 16.11.2019 is in brazen defiance of the statutory mandate of sub-section (3) of Section 116 Sub-section (2) of Section 151 of the Code, and that of Articles 20 and 21 of the Constitution of India.

17. The Respondent no.5 is a senior officer exercising quasi judicial powers.

18. Law abhors illegal detention. The Courts cannot be a mute spectator to an illegal detention in flagrant violation of basic constitutional norms. The Courts in such eventualities are constitutionally obliged to rise to the occasion to award such compensation, as it deems fit. The Apex Court in D.K. Basu Vs. State of West Bengal (1997) 1 SCC 416, has held that the constitutional courts in an appropriate case involving illegal detention, in exercise of jurisdiction under Article 32/226 of the Constitution of India, can award compensation.

19. The instant case is one such illustration. We, on available material including the apology of respondent no.5, are of the view that the illegal detention of the petitioner from 11.11.2019 to 16.11.2019 was perpetuated by respondent no.5 / City Magistrate, NOIDA, Sector 19, Noida, District Gautam Budh Nagar.

20. We deem appropriate to direct the State Government to recover Rs.25000/- from the salary of respondent no.5/ Mr. Shailendra Kumar Mishra (City Magistrate, NOIDA, Sector 19, Noida, District Gautam Budh Nagar) and pay the same to the petitioner forthwith as compensation for illegal detention."

12. Another judgment of ***Shiv Kumar Verma and another (Supra)*** of co-ordinate Bench has considered the policy of State Government dated 23.3.2021 framed for guiding District Magistrates, Executive and Special Magistrate in cases of maintenance of public peace, public tranguility and public order, which is as follows:-

"17. The policy of the State Government dated 23.3.2021 appended as Annexure 1 to the aforesaid affidavit of compliance dated 23.3.2021 is reproduced below:-

"महत्वपूर्ण /दिशा-निर्देश
संख्या-*580*पी*/6-*पु०*-3-2021*

प्रेषक,
अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ *:* दिनांक *: 23*

गृह *(*पुलिस*)* अनुभाग*-3* मार्च*, 2021*

विषय :- किमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-16386/2020, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 के अनुपालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-392पी/6-पु0-3-2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित

क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-16386/2020, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 के अनुपालन में परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन धारा 107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के कियान्वन के विषय में अपेक्षित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. किमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-16386/2020, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 में कतिपय बिन्दुओं को उक्त दिशा-निर्देश में समावेशित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

3- मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.03.2021 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या-393पी/6-पु०-3-2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 को अवकमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन धारा 107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वन के विषय में संलग्नानुसार अपेक्षित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

4. कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।. 4-

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

ह० अपठनीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उ० प्र० ।

(3) पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ० प्र०

(4) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उ० प्र० ।

आज्ञा से,

ह० अपठनीय
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव ।

परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा 107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के कियान्वन के विषय में दिशा-निर्देशः-

अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत परिशान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों, जिनसे परिशान्ति भंग होने अथवा लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की सम्भावना है, के खिलाफ निरोधक कार्यवाहियां किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यथानिर्दिष्ट अधिकार दिये गये है तथा इसकी पूरी प्रक्रिया का विधिवत् उल्लेख भी किया गया है, तथापि यदाकदा ऐसे दृष्टान्त सामने आते है जिनसे यह आभासित होता है कि सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आदेश पारित किया है अथवा निर्धारित प्रक्रिया का समुचित अनुपालन नही किया है। ऐसे ही एक प्रकरण (क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या - 16386/2020, शिवकुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य, आदेश दिनांक 02.02.2021) में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत आदेशों को सम्यक् न मानते हुए एक उचित कार्यप्रणाली (Mechanism) विकसित किये जाने तथा यथोचित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का आदेश दिया है।

शांति व्यवस्था व लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से निरोधक कार्यवाहियों के विषय मे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता एवं प्रकिया का विधिवत् उल्लेख किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एवं निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर मुखरित (speaking) आदेश पारित किए जायें। निरोधक कार्यवाहियों के विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लेखित सुसंगत प्रावधान एवं उनके विषय में अपेक्षित मार्ग-निर्देश निम्नवत् जारी किए जा रहे है :-

1-धारा-107- (परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति) के विषय में -इस विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता मे मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं-

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि सम्भाव्य है कि उसके अधिकारिता क्षेत्र में कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे सम्भाव्यतः परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशान्ति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

<u>धारा - 151- संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफतारी के विषय में प्रावधान निम्नवत् है -</u>

(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारण्ट के बिना उस दशा में गिरफतार कर सकता है, जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफतारी के समय से चौबीस घण्टे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नही रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहित के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्ही अन्य उपबन्धो के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।

<u>उपरोक्त दोनो धाराओं के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस अथवा अन्य प्राधिकारी द्व ारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इत्तिला दिये जाने (चालानी रिपोर्ट) के विषय मे निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये जाते है -</u>

- 107/151 सीआरपीसी की चालानी रिपोर्ट प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर रिक्ति को भरते हुए (filling the blanks) प्रेषित न किया जाए अपितु प्रत्येक प्रकरण की मेरिट को दर्शत करते द्वार मुखरित आख्या भेजी जाए हुए मुखरित आख्या भेजी जाए।
- प्रत्येक मामले मे विवाद से समबन्धित पूर्ण, सुस्पष्ट एवं तथ्यात्मक विवरण (सुविचारित कारणों सहित) अंकित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों से शांति भंग की संभावना किस आधार पर है।
- प्रत्येक चालानी रिपोर्ट के साथ प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र, जैसे प्रार्थना पत्र, एनसीआर की प्रति इत्यादि अवश्य संलग्न किये जाए।
- प्रत्येक चालानी रिपोर्ट यदि किसी चौकी प्रभारी अथवा उप निरीक्षक द्वारा तैयार की जाती है तो उस पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा परीक्षण कर अपनी स्पष्ट एवं तथ्यात्मक टिप्पणी अंकित करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- यदि 107/116 की चालानी रिपोर्ट के साथ आरोपी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-151 के तहत गिरफतार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में चालानी रिपोर्ट मे विशिष्ट रुप से यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किस संज्ञेय अपराध को कारित करने हेतु आरोपी व्यक्ति प्रवृत्त था, जिसे अन्यथा नही रोका जा सकता था और रोकने के लिए उसे गिरफतार किया जाना आवश्यक था।

2- धारा-111- (प्रारंभिक आदेश / नोटिस) के विषय में -इस विषय मे दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् है -

> **जब कोई मजिस्ट्रेट, धारा 107, धारा 108, धारा 109, या धारा 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बन्धपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की (यदि कोई हो) अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा।**

इस सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते है -

- कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भली भांति यह संज्ञानित होना आवश्यक है कि उस धारा के अन्तर्गत निर्गत आदेश एक प्रारम्भिक आदेश है जिसके द्वारा आरोपी व्यक्ति को कारण दर्शित करने के लिए संसूचित किया जाता है कि उसके द्वारा शांतिभंग करने अथवा लोक प्रशांति विक्षुब्ध करने की संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि हेतु क्यों न बन्धपत्र (प्रतिभू सहित / प्रतिभू रहित) प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये जाए।

- इस धारा के अधीन आरोपी को अन्तरिम अथवा अंतिम रुप से बन्धित नही किया जा सकता। इस प्रारंभिक आदेश के बाद आवश्यक जांच / साक्ष्य संकलन के पश्चात् ही मेरिट पर आदेश निर्गत किया जाना उचित है। विशिष्ट / आपातिक परिस्थिति में यदि जांच / साक्ष्य संकलन की अवधि में भी आरोपी व्यक्ति द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना हो और मजिस्ट्रेट को इस आशय का समाधान हो तो जांच की अवधि तक लिए अंतरिम रुप से धारा-116 (3) के तहत बन्धपत्र / प्रतिभू प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया जा सकता है। परन्तु किसी भी दशा में धारा-111 के प्रारंभिक आदेश में ही बन्धपत्र / जमानत के विषय में अंतरिम या अंतिम आदेश नही दिया जाना चाहिए, इसी प्रकार धारा-116 (3) के अन्तर्गत अंतरिम पाबन्दी आदेश, धारा-111 के अन्तर्गत प्रारंभिक आदेश जारी किए बिना नही किया जाना चाहिए

- इसे छपे-छपाये प्रोफार्मा पर निर्गत नही किया जाना चाहिए अपितु एक लिखित / टंकितशुदा व मुखरित आदेश निर्गत किया जाना चाहिए।

- प्रारंभिक आदेश में इत्तिला का स्रोत एवं इत्तिला के सार का उल्लेख अवश्य किया जाए। सार शब्द से आशय है कि इत्तिला के महत्वपूर्ण अंशो का निचोड़ उल्लेखित होना चाहिए, तात्पर्य यह है कि नोटिस मे इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि किन आधारों पर किसी व्यक्ति को पाबन्द करने का प्रस्ताव है, जिससे वह इनका उत्तर दे सके।

- कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अपेक्षित है कि वो प्रारंभिक आदेश में, उन्हें दी गयी इत्तिला में अंकित तथ्य एवं विवरण के प्रति अपना समाधान अवश्य अंकित करें।

- प्रारंभिक आदेश में बन्धपत्र की धनराशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए (यह अवधि धारा-107/108/109 के प्रकरण में एक वर्ष से अधिक नही होगी तथा धारा-110 के प्रकरण में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)
- यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान होता है कि बन्धपत्र के साथ प्रतिभू लिया जाना भी आवश्यक है तो धारा-111 के अन्तर्गत निर्गत प्रारंभिक आदेश में ही प्रतिभू की सख्या, प्रकृति तथा वर्ग (Number, character and class of sureties) का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

<u>3. धारा 112,113,114,115 से सम्बन्धित प्रावधान एवं दिशा-निर्देश-</u>

इन धाराओ में उल्लिखित प्रावधान स्वतः स्पष्ट है, तथापि इस विषय में कतिपय तथ्य स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, यथा कि

- यदि यह व्यक्ति जिसके बारे में प्रारंभिक आदेश दिया गया है. न्यायालय में उपस्थित है तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार भी उसे समझाया जाएगा।
- यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन जारी करेगा।
- यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब वह जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है उस अधिकारी को, उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारन्ट जारी करेगा।
- यदि प्राप्त इत्तिला से मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान है, कि आरोपी व्यक्ति द्वारा परिशांति भंग होने के पर्याप्त कारण है और आरोपी व्यक्ति की तुरन्त गिरफतारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है, तब मजिस्ट्रेट उसकी गिरफतारी के लिए किसी समय वारण्ट जारी कर सकता है।
- ऐसे प्रत्येक समन / वारण्ट के साथ धारा-111 के अधीन दिये गये प्रारंभिक आदेश की प्रति संलग्न किया जाना तथा आरोपी पर तामीला कराया जाना आवश्यक होगा।
- पर्याप्त आधार व समाधान होने पर मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को वैयक्तिक हाजिरी से मुक्ति दे सकता है और जरिए अधिवक्ता /प्लीडर हाजिर होने हेतु आदेश दे सकता है।

<u>4-धारा-116-कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त इत्तिला की सच्चाई के बारें जांच-</u>

<u>इस विषय में दण्ड प्रकिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं -</u>

(1) जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय मे उपस्थित है, धारा 112 के अधीन पढकर सुना या समझा दिया गया है अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारण्ट के अनुपालन या निष्पादन में अजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया गया है तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर रह कार्यवाही की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) ऐसी जांच यथासाध्य, उस रीति से की जाएगी जो समन-मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखान के लिए इसमें इसके पश्चात् विहित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच प्रारम्भ होने के पश्चात् और उसकी समाप्ति से पूर्व पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशान्ति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है, निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचार बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या हित बन्ध पत्र निष्पादित कर और जब तक ऐसा बन्धपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिकम होने की दशा मे जब तक जांच समाप्त नही हो जाती है, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है,

परन्तु

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नही दिया जाएगा,

(ख) ऐसे बन्धपत्र की शर्ते, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हो, या प्रतिभु उपलब्ध कराने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन सम्बन्धी सीमा के बारे में हो. उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट हैं।

<u>इस विषय में निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये जाते है -</u>

- बिना धारा-111 के तहत प्रांरभिक आदेश निर्गत किए, धारा-116 के तहत जांच तथा धारा-116 (3) के तहत पाबन्दी का आदेश नहीं किया जाना चाहिए।
- धारा-116 के अधीन की जाने वाली जांच एक पूर्ण न्यायिक जांच है। इस जांच में न्यायिक कार्यवाही की समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। यथासंभव आरोपित पक्ष के सामने ही साक्ष्य अभिलिखित किया जाना चाहिए तथा गवाहों को विपक्षी से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- धारा-116 (3) मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए समर्थ करती है कि वह विपक्षी को जांच पूर्ण होने तक अंतरिम बन्धपत्र (प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सके, पर यह तभी किया जाना चाहिए जब शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु तुरन्त उपाय आवश्यक हो, कार्यवाही करने के कारण अभिलिखित किए गए हों, अंतरिम बन्धपत्र मांगने के पूर्व जांच कर ली गयी हो तथा धारा 111 में यथोचित प्रारंभिक आदेश पारित कर दिया गया हो।
- "तुरन्त उपाय" से आशयित है कि जब परिशांति भंग होने का, या लोक प्रशांति के विक्षुब्ध होने का या अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय आवश्यक है। यह तब तक लागू होगा जब आरोपी व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है और बिना बन्धपत्र के स्वतन्त्र रहने पर लोक सुरक्षा इत्यादि के लिए खतरा रहता है।
- मजिस्ट्रेट से अपेक्षा है कि धारा-116 (3) के तहत आदेश करने से पूर्व धारा-107 की कार्यवाही के लिए दी गयी सूचना की सत्यता के बारे में जांच करे। साथ ही मजिस्ट्रेट को कार्यवाही का न्यायोचित कारण अभिलिखित करना भी अपेक्षित है।

- धारा-116 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को अंतरिम बन्धपत्र दाखिल करने का आदेश अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर अपने समाधान को अंकित करते हुए करना चाहिए।
- धारा-111 व धारा-116 (3) दो पृथक उद्देश्यों के लिए विहित की गई है। अतः मजिस्ट्रेट को धारा-111 व धारा-116 (3) के अधीन संयुक्त आदेश नहीं करना चाहिए।
- इस धारा के अधीन जाँच, उसके आरंभ होने की तारीख से छः मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट इसके लिए विशेष कारण पाता है तो अपना समाधान अंकित करते हुए इस अवधि में वृद्धि कर सकता है। यदि ऐसा विशिष्ट आदेश नहीं किया गया है तो छः माह की अवधि के बाद धारा 107 की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी। एक बार ऐसी जाँच समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट को इस कार्यवाही को स्वतः पुनःजीवित (Revive) नहीं करना चाहिए।
- यदि आरोपी व्यक्ति जाँच लम्बित रहने के दौरान निरूद्ध रखा गया है तो उसके विरूद्ध किसी भी स्थिति में जॉच की अवधि परिसीमा में वृद्धि करने के लिए मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही 6 माह की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जायेगी।
- बन्धपत्र की धनराशि एवं प्रतिभू का वर्ग, प्रकार व संख्या उससे अधिक नहीं हो सकती जितनी धारा-111 के प्रारंभिक आदेश में लिखित है।

5-धारा-117- (गुण-दोष पर बन्धपत्र / प्रतिभूति देने का आदेश) के विषय में प्रावधान एवं दिशा-निर्देश

यदि गुण-दोष पर सुनवाई / जॉच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति बनाए रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जाँच की गई है, प्रतिभूओं सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट निम्न सावधनियाँ बरतते हुए आदेश जारी करेगा-

- किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस धनराशि से अधिक धनराशि की या उस अवधि से दीर्घ अवधि के लिए आदेश नहीं किया जाएगा जो धारा-111 के अधीन दिये गये प्रारंभिक आदेश में उल्लिखित है। उदाहरणर्थ यदि धारा-111 की नोटिस में प्रतिभूति नहीं मांगी गयी है तो अंतरिम आदेश में भी बन्धपत्र प्रतिभूति सहित निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
- प्रत्येक बन्धपत्र की धनराशि मामले के गुणावगुण व परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखते हुए नियत की जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिभूति विपक्षी के साधन तथा उसके जीवन स्तर को दृष्टिगत रखते हुए दाखिल करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
- यदि आरोपी अवयस्क हो तो बन्धपत्र उसके प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

6-धारा-118 (आरोपी व्यक्ति के उन्मोचन के विषय में प्रावधान एवं दिशा-निर्देश-

यदि धारा-116 के अधीन जाँच पर यह साबित नहीं होता है, कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने अथवा सदाचार बनाए रखने के लिए आरोपी व्यक्ति बन्धपत्र निष्पादित करे तो मजिस्टेट अभिलेखा में इस आशय की प्रविष्टि करते हुए, यदि आरोपी व्यक्ति केवल उस जाँच के प्रयोजनों के ही लिए अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा और यदि अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा।

<u>इस विषय में निम्नवत् मार्गनिर्देश दिये जाते हैं-</u>

- इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ न्यायिक हैं और उनका प्रयोग न्यायिक रूप से ही होना चाहिए अर्थात 118 के अधीन आदेश पारित करने के लिए धारा-111, 112 व 116 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना तथा गुणावगुण पर पारित अंतिम आदेश में सकारण अभिकथन लिखा जाना आवश्यक है।
- मजिस्ट्रेट को पश्चात्वर्ती घटनाओं को संज्ञान में लेने की शक्ति प्राप्त है। यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से दर्शित होता है कि यद्यपि एक समय शांति भंग होने की सम्भावना थी तथापि पश्चात्वर्ती घटनाओं से शांतिभंग का खतरा समाप्त हो गया है. तो न्यायालय कार्यवाही समाप्त कर सकता है और उन व्यक्तियों को उन्मोचित कर सकता है जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

<u>7-धारा-120-बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं एवं समपहरण (forfeiture) के विषय में प्रावधान एवं दिशा-निर्देश-</u>

आरोपी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्र उसे, यथास्थिति, परिशांति, कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास से दण्डनीय को अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना. (चाहे वह कहीं भी किया जाए) बन्धपत्र का भंग है।

उक्त स्थिति में मजिस्ट्रेट को बन्धपत्र समपहृत (forfeit) करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में मजिस्ट्रेट से निम्न सावधानियाँ अपेक्षित हैं-

- परिशांति कायम रखने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध समपहरण की कार्यवाही केवल ऐसे अपराधों को कारित करने से हो सकती है जिसके जिसके परिणाम स्वरूप परिशांति भंग की सम्भावना है
- सदाचारी बना रहने के लिए निष्पादित बन्धपत्र को निष्पादी द्वारा किसी भी अपराध को करने पर समपहृत किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध ऐसा हो जो परिशांति भंग करने के सम्भाव्य की कोटि में आता हो।
- बन्धपत्र के भंग पर समपहरण की कार्यवाही धारा-446 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
- यदि किसी व्यक्ति का परिशांति कायम रखने के लिए निष्पादित बन्धपत्र, परिशांति को भंग करने वाले अपराध में दोषसिद्ध होने पर समपहृत होता है तो उसे बन्धपत्र की शेष अनवसित अवधि के लिए कारागार में नहीं भेजा जा सकता, उससे केवल समपह्नत बन्धपत्र की रकम वसूल की जा सकती है।
- बन्धपत्र को समपहृत करने तथा रकम वसूली के आदेश से पूर्व बन्धपत्र के निष्पादी को कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- रामपहरण की कार्यवाही प्रधान तथा उसके प्रतिभू, दोनों पर लागू होगी।

<u>8-धारा-121-प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति-</u>

<u>इस विषय में दण्ड प्रकिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं-</u>

(1) मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा, इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बन्धपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त हैः-

परन्तु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इन्कार करने या उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जाँच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जॉच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट जॉच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को, जिसने वह प्रतिभू पेश किया है. उचित सूचना देगा और जॉच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर (यदि कोई हो), विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बन्धपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है तो वह उस प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने से इन्कार या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगाः-

परन्तु किसी प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है. अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वाारण्ट, जिसे वह ठीक समझे, जारी करेगा और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलवाएगा।

<u>इस विषय में निम्नवत् दिशा-निर्देश दिए जाते हैं-</u>

- मजिस्ट्रेट धारा-121 के तहत प्रस्तुत प्रतिभूतियों को नामंजूर कर सकता है. किन्तु उसे ऐसा तभी करना चाहिए, जबकि उसने आवश्यक जाँच कर ली हो और नामंजूर करने के अपने कारणों और साक्ष्य को अभिलिखित कर लिया हो।

- किसी प्रतिभू को केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तथा बिना जॉच किए नामंजूर करना न्यायोचित नहीं है।

- प्रतिभू की उपयुक्तता का प्रश्न मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जाँच के बाद तय किया जाना चाहिए केवल यह तथ्य कि प्रतिभू अभियुक्त पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पायेगा, स्वयं में किसी भूतिभू को अस्वीकृत करने का कारण नहीं होना चाहिए।

- बन्धपत्र के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिभू की अनुपयुक्तता केवल वित्तीय अनुपयुक्तता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।

<u>9-धारा-122-प्रतिभूति देने में व्यक्तिकम होने पर कारावास-</u>

<u>इस विषय में दण्ड प्रकिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं-</u>

(1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 106 या 117 के अधीन प्रतिभू देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारम्भ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक

आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तक तक निरूद्ध रखा जायेगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात्, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद-उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बन्धपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद-उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बन्धपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरूद्ध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दण्ड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो।

(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभू देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है. तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वारण्ट जारी करेगा कि सँशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरूद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएंगी।

(3) ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और सम्बद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे ।

परन्तु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

<u>यद्यपि उक्त प्रावधान एवं इसमें उल्लेखित प्रक्रिया सुस्पष्ट है तथापि वर्तमान परिदृश्य में इसे सरलीकृत करते हुए निम्नवत् दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं:-</u>

- जब मजिस्ट्रेट आरोपित व्यक्ति को प्रतिभूति दाखिल करने का आदेश देता है तो इसमें निम्न तीन तथ्यों का समावेशन अनिवार्यतः किया जाना चाहिए-

  (क) प्रतिभूति की अवधि।

  (ख) अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख।

  (ग) तारीख, जब तक प्रतिभूति दी जानी है।

  यदि ऐसे आदेश में अवधि प्रारम्भ होने की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है तो ऐसी त्रुटि को एक नया आदेश पारित करके सुधारा जा सकता है।

- धारा-122 केवल उसी स्थिति में लागू होती है जब अंतिम नियत तारीख तक प्रतिभूति दाखिल नहीं की गयी है। यदि प्रतिभूति दाखिल कर दी गयी है तों यह धारा लागू नहीं होगी।

- यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध कारावास को आदेश दिया गया है, प्रतिभूति दाखिल कर देता तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जाएगा।

- धारा-107 के अधीन परिशांति कायम रखने के लिए तथा धारा-108 के अधीन सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सदैव सादा (सश्रम नहीं) होगा, किन्तु जहाँ कार्यवाही धारा-109 या धारा-110 के अधीन की गयी है, वहाँ कारावास प्रत्येक मामले में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या न्यायालय के स्वविवेकानुसार सादा या कठोर होगा। (यद्यपि कठोर कारावास का आदेश देना मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर निर्भर है, किन्तु उसे अपने आदेश में कारण देने चाहिए कि वह कठोर कारावास का आदेश क्यों कर रहा है)

10-धारा-123-(प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति) के विषय में प्रावधान एवं दिशा-निर्देश-

इसके अन्तर्गत धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित किये जाने या प्रतिभूति की रकम / प्रतिभुओं की संख्या अवधि को, जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गयी है, कम किये जाने हेतु आदेश दे सकता है।

यह पूर्णतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर है कि वह किन परिस्थितियों में इस धारा के अधीन कार्यवाही करे।

11-धारा-124 (बन्धपत्र की शेष अवधि के लिए बन्धपत्र) के विषय में प्रावधान एवं दिशा-निर्देश-

(1) जब वह व्यक्ति, जिसकी हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन या धारा 123 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया लाता है तब यह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बन्धपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बन्धपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भाँति की. जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के आदेश देगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा-120 से धारा-123 तक की धाराओं के (जिसके अन्तर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं।) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा-106 या धारा-117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा।

12-भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुये किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही एवं पीडित व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुये किसी अवैध हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के अपील) नियमावली, व्यक्ति की प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं 1999, दि आल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लीन एंड अपील) 1969 एवं उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में संगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। रूल्स,

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट 03 माह में अथवा संगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जायेगी।

(3) यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती व्यक्ति को रू0-25,000 / की धनराशि का भुगतान है तो पीड़ित मुआवजे के रूप में किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियाँ, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के लिए है। अतः इनका पालन सदैव गुण-दोष के आधार पर युक्तियुक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए, ताकि आमजन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहें।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।

ह०अपठनीय
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव ।

13. In paragraph 21 to 25, this court in the case of ***Shiv Kumar Verma (Supra)*** considered the payment of monetary compensation to the person whose right to liberty is violated by the public servants as follows:-

> *"21. Once it is found by the competent authority that a complainant is entitled for compensation for inaction of those who are entrusted under the Act to discharge their duties in accordance with law, then payment of the amount may be made to the complainant from the public fund immediately but it may be recovered from those who are found responsible for such unparadonable behaviour. This legal position is reflected from the law laid down by the Apex Court in Lucknow Development Authority's case (supra). In the said case it was further observed by the Apex Court that the Administrative law of accountability of public authorities or their arbitrary and even ultra vires actions has taken many strides and it is now accepted both by this Court and English Courts that State is liable to compensate for loss or injury suffered by a citizen due to arbitrary action of its employees.*
>
> *22. The legal principles as enumerated in foregoing paragraphs Nos. 18, 19, 20 & 21 also finds support of the law laid down by Hon'ble Courts in the case of Lucknow Development Authority (supra);* ***Jay Laxmi Salt Works (P) Ltd. Vs. State of Gujarat (1994) 4 SCC 1; N. Nagendra Rao & Co. Vs. State of A.P. (1994) 6 SCC 205; State of Maharashtra and others Vs. Kanchanmala Vijaysing Shirke and others (1995) 5 SCC 659; Chief Conservator of Forests and another (1996) 2 SCC 293; S.P. Goel vs Collector Of Stamps, Delhi (1996) 1 SCC 573; Common Cause A. Registered Society Vs. Union of India JT 1999 (5) SC 237: AIR 1999 SC 2979; Shiv Sagar Tiwari Vs. Union of India and others (1996) 6 SCC 558; Chairman, Railway Board and others Vs. Chandrima Das (Mrs.) and others (2000) 2 SCC 465; State of A.P. Vs. Challa Ramkrishna Reddy and others***

(2000) 5 SCC 712; Research Foundation for Science (10) Vs. Union of India (2005) 13 SCC 659; M.C. Mehta Vs. Union of India and Others (2006) 3 SCC 399; Union of India Vs. Prabhakaran Vijaya Kumar and others (2008) 9 SCC 527; Action Committee, Unaided Private Schools and others Vs. Director of Education, Delhi and others (2009) 10 SCC; Delhi Jal Board Vs. National Campaign for Dignity and Rights of Sewerage and Allied Workers and others (2011) 8 SCC 568; Municipal Corporation of Delhi, Delhi Vs. Uphaar Tragedy Victims Association and others (2011) 14 SCC 481.

Action by the State Government

23. We record our appreciation for the State Government to take the aforequoted policy decision dated 23.03.2021 for payment of compensation of Rs.25,000/- for illegal detention of any citizen by any Officer of the State Government and initiation of disciplinary proceedings against such officer. Since the State Government itself has taken a policy decision and has paid compensation to the petitioners herein, therefore, no further direction for payment of compensation is required to be issued in the present writ petition.

24. In view of the aforesaid, this writ petition is disposed of with the following directions :-

(i) The State Government shall ensure that the provisions of the Cr.P.C. as referred in the policy decision dated 23.03.2021 are strictly followed/observed by all the concerned officers.

(ii) The State Government shall further ensure that paragraph 12 of the policy decision dated 23.03.2021 is strictly implemented, which at the cost of repetition is reproduced below:

1) भारत के संविधान के अनुच्छेद-*21* का उल्लंघन करते हुये किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक *(*अनुशासन एवं अपील*)* नियमावली, *1999,* दि आल इंडिया सर्विसेज *(*डिसिप्लीन एंड अपील*)* रूल्स, *1969* एवं उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की *(*दण्ड और अपील*)* नियमावली, *1991 (*यथा संशोधित*)* में संगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट *03* माह में अथवा संगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जायेगी।

(3) यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू*0-25,000 /*की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा।

(iii) The State Government shall publish Para 12 of its Policy decision dated 23.03.2021 in all largely circulated National Level Newspaper having circulation in the State of Uttar Pradesh and shall also display it on display board at prominent places within public view, in all blocks, Tehsil

Headquarters, Police Stations and in campus of District Collectorate in the whole of the State of Uttar Pradesh.

(iv) Copy of this order shall be sent by the State Government to all District level and Tehsil level Bar Associations in the whole of the State of Uttar Pradesh.

25. Let a copy of this order be sent by the Registrar General of this Court to the Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh and the Additional Chief Secretary, Home, for strict compliance."

14. The Apex Court in the case of ***Daudayal Vs. State of Rajasthan, 2026 INSC 599,*** held in paragraph no. 11.4 that compensation for illegal detention in the nature of "exemplary damages" can be granted as follow"-

"11.4 Nilabati Behera v. State of Orissa, (1993) 2 SCC 746,

This case was instituted by an aggrieved mother whose son was taken into police custody wherein he met the most unfortunate off- ends. The letter addressed to this Court was treated as a writ petition. Since it was undisputed that the police authorities had taken him into custody and also that he was eventually found pretty much in the state of being a discarded piece of trash on the railway track, the liability of the State of Orissa was obvious. The total amount awarded was Rs.1,50,000/-. In doing so, the Court speaking through J.S. Verma J. (as he then was) acknowledged the wide powers under Article 32 and also made reference to Article 9(5) of International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. Dr. A.S. Anand (as he then was) in the said case observed as under:

"34. The public law proceedings serve a different purpose than the private law proceedings. The relief of monetary compensation, as exemplary damages, in proceedings under Article 32 by this Court or under Article 226 by the High Courts, for established infringement of the indefeasible right guaranteed under Article 21 of the Constitution is a remedy available in public law and is based on the strict liability for contravention of the guaranteed basic and indefeasible rights of the citizen. The purpose of public law is not only to civilize public power but also to assure the citizen that they live under a legal system which aims to protect their interests and preserve their rights. Therefore, when

the court moulds the relief by granting "compensation" in proceedings under Article 32 or 226 of the Constitution seeking enforcement or protection of fundamental rights, it does so under the public law by way of penalising the wrongdoer and fixing the liability for the public wrong on the State which has failed in its public duty to protect the fundamental rights of the citizen. The payment of compensation in such cases is not to be understood, as it is generally understood in a civil action for damages under the private law but in the broader sense of providing relief by an order of making 'monetary amends' under the public law for the wrong done due to breach of public duty, of not protecting the fundamental rights of the citizen. The compensation is in the nature of 'exemplary damages' awarded against the wrongdoer for the breach of its public law duty and is independent of the rights available to the aggrieved party to claim compensation under the private law in an action based on tort, through a suit instituted in a court of competent jurisdiction or/and prosecute the offender under the penal law."

15. The provisions of Sections 126 and135 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) vest discretion in the Magistrate to get bond and bail bond executed under Chapter IX B.N.S.S. Section 170 B.N.S.S. does not provides for execution of any bond or furnishing any surety. But we find that bond of Rs.50,000/- with one or two sureties of like amount, are being illegaly insisted by Magistrates whenever such detention/ arrest of a person is made, on the allegation of commission of breach of peace and not maintaining good behaviour.

16. We find that there exists a State Government policy decision dated 23.03.2021. Despite the said policy decision, the police officials of the State and the Magistrates are acting in a highly irresponsible manner by sending persons brought before them, only to prevent breach of peace, to jail for days together. The amount of compensation of ₹25,000/- for such breach was fixed in the year 2021 by the State Government and it

deserves to be enhanced by the State Government by framing a new policy after the coming into force of the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). Until a new policy is brought into force by the State Government and keeping in view flagrant violation of right to liberty of the illegally detained and jailed persons, we direct as follows:-

(i). We hereby direct that after preventive detention of any person under the provisions of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) or Cr.P.C., he shall be required to furnish a personal bond (signature bond without deposit of any money) binding him to keep peace and maintain good behaviour. The amount of such bond shall not exceed ₹20,000/- and no surety shall be required to be furnished. In case amount of bond is increased, reasons for the same shall be given by the Magistrate in writing. On the date of detention, if bond is executed by the person detained, he shall be set free.

(ii). In case accused refuses to execute the personal bond for keeping peace on being produced before the Magistrate/ Commissioner of Police on the same day, his refusal shall be recorded by means of written and audio-visual mode before sending him to jail. He shall be produced before the Magistrate on the date stated by him at the time of his refusal to furnish personal bond to enable him to produce personal bond on the day chosen by him.

(iii). Further, in cases where a person is detained for more than 24 hours in violation of this order, without any plausible reason, an amount of

₹25,000/- per day shall be payable to the detained person as compensation by the State Government. The said amount shall be recovered by deduction from the salary of the concerned Magistrate and/or police officer, or both, as the case may be, if they are found responsible for the default, after conducting disciplinary proceedings against them and fixing their liability.

(iv). The Magistrate and/or police official prima facie found responsible for the lapse, or both, shall be subjected to disciplinary proceedings for dereliction of duty as per their relevant service Rules.

17. Now coming to the facts of this case, it is clear that petitioner no.1 was illegally detained in jail from 22.3.2026 to 25.3.2026 and was released after filing of this petition on oral direction of this Court. Hence he is held entitled to compensation of Rs.75,000/- at the rate Rs.25,000/- per day of illegal detention. It shall be paid to petitioner no.1 within six weeks by the State Government. Thereafter the amount shall be recovered by the State Government from Assistant Commissioner of Police, Shalimar Garden, Ghaziabad and/or from S.H.O., Police Station Teelamodh, Ghaziabad, whosoever is found at fault or both, proportionally after conducting disciplinary inquiry against both of them within three months.

18. The Commissioner of Police, Commissionerate Ghaziabad, shall file the compliance report of this order to this Court on or before 14.9.2026.

19. List this case on 14.9.2026.

20. In case of failure he shall remain present before this Court on the next date fixed.

21. The Registrar (Compliance) is directed to send a copy of this order to Director General of Police, Uttar Pradesh, within a week for necessary compliance by issuing a circular to all the police heads in the Police Commissionerates or the Districts.

22. He shall also file an affidavit of compliance in this regard by the next date fixed.

(Vinai Kumar Dwivedi,J.) (Siddharth,J.)

June 8, 2026
Ruchi Agrahari

Digitally signed by :-
RUCHI AGRAHARI
High Court of Judicature at Allahabad